उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 368 /VII-2(09)/409–उद्योग/08
देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2009

## अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–387/697–उ0नि0/पी0एस0/आई0डी0 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांकः 3972/उ0नि0–(पॉच)–मैगा प्रोजैक्ट/08–09 दिनांक 11 दिसम्बर 2008 के संन्दर्भ में मै0 श्री सीमेन्ट लि0 को ग्राम–अकबरपुरउद तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार में कय अनुबन्धित कुल 7.603 हैक्टेअर भूमि जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

| राजस्व ग्राम का नाम | खसरा नंबर | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेअर में) |
|---|---|---|
| अकबरपुरउद तहसील लक्सर | 510, 511, 513, 514, 515, 515म, 517, 519, 521 | 7.603 |

2 उक्त तालिका में अंकित खसरे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या–50/2003 सी0ई0 दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत Category-D Expansion of Existing Estate के अन्तर्गत अधिसूचित हैं जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों **(नकारात्मक सूची के कियाकलापों को छोड़कर)** को भारत सरकार, के द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ निर्धारित अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

3. GIDCR-2005- के पृष्ठ संख्या--34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधेयों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR–2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5– औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

6– विशेष आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेंगी।

7– कय की जाने वाली भूमि का उपयोग "**सीमेन्ट क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट**" की स्थापना के लिए मैगा प्रोजैक्ट की स्थापना हेतु किया जायेगा।

8– आवेदक इकाई द्वारा उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयॉ, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

10– प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय–समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

11– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 368 (1)/VII-2/409–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रूड़की (हरिद्वार)।
14. श्री सीमेन्ट लि0, बांगर नगर, ब्यावर, जिला अजमेर, राजस्थान।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वेवसाईट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।